राम तवेक्या शर्मा

बनाम

बिहार राज्य व अन्य

(सिविल अपील सं. 5186/2008)

21 अगस्त, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सथाशिवम और आफताब आलम, जे.जे.]

बिहार पुलिस नियमावली; आर.आर. 828 , 844 , 845 , 846 & 847:

पुलिस सिपाहियों द्वारा लूट- आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान गलती करने वाले सिपाहियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने की-शुद्धता- अभिनिर्धारित- आरोपित कर्मचारीयों को अदालत द्वारा आपराधिक मामले में निर्णय होने तक विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं लेने के बारे में सूचित किया गया-प्राधिकारी द्वारा पुलिस नियमावली के अन्तर्गत शुरू की गई विभागीय कार्यवाही-आरोपित द्वारा जांच में दोष के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई- उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रकिया का अनुपालन किया गया है तथा पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है अतः उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है- नैसगिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना की गई।

अपीलार्थी, पुलिस सिपाहियों (कॉन्स्टेबल) ने 12.10.1991 को कथित रूप से लूट का अपराध कारित किया, उनका स्थानीय लोगों द्वारा पीछा किया गया और पकड़ लिया गया। उन्हें पुलिस को सौंपा गया। उनके कब्जे से धन बरामद हुआ। पुलिस द्वारा

उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 392 और 411 के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने का मुकदमा दर्ज किया गया। और इसके समानान्तर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी शुरू की गई।

आरोपित-पुलिस कांस्टेबलों ने विभागीय कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। इसी दौरान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को बरी कर दिया। हालांकि, विभागीय कार्यवाही के परिणामस्वरूप अपीलार्थीयों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया। याचिकाकर्ता की रिट याचिका का निपटारा इस आधार पर किया गया कि अब विभागीय कार्यवाही का अब निस्तारण किया जा चुका है। व्यथित अभियुक्तों ने पुनः आगे और रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिनका उच्च न्यायालय नेएक समान आदेश द्वारा अभियुक्तो के बरखास्तगी के आदेश की पुष्टि करते हुए निस्तारण किया।

अभियुक्तों ने एक और रिट याचिका इस आधार पर दायर की कि बिहार पुलिस नियमावली के नियम 847 के अनुसार कोई विभागीय कार्यवाही तक तक आरम्भ नहीं की जा सकती जब तक की अपील करने के लिए अनुज्ञात समय अवधि का अवसान न हो चुका हो।

एकल पीठ न्यायाधीश ने मामले को खण्डपीठ को निर्देशित किया। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने रिट याचिका को खारिज कर दिया।

इसलिए वर्तमान अपील दाखिल की गई है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः बिहार पुलिस नियमावली के नियम 845 और 847 केवल दोषसिद्धि के मामलों से संबंधित हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी और विभागीय कार्यवाही में जिन दो अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उन्होंने प्राधिकारी को लिखा था कि जब तक

आपराधिक न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता तब तक वे विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं लेंगें तथा उन्होंने विभागीय कार्यवाही में प्रस्तुत गवाहान से जिरह करने से भी मना कर दिया था। जहाँ तक प्रथम रिट याचिका का संबंध है,स्थगन का आदेश दिनांक 6.1.1992 को पारित किया गया था जो कि अपीलार्थी और दो अन्य सिपाहियों के विभागीय कार्यवाहियों में भाग लेंने से इन्कार करने के बहुत बाद पारित हुआ था। उच्च न्यायालय द्वारा यह सही व्याख्या की गई है कि पूर्व की रिट याचिका में केवल दो बिंदुओं पर आग्रह किया गया था और जांच में किसी दोष बाबत कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसलिए उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष सही निकाला है कि यह आग्रह बिना किसी सार के था। जहां तक पुलिस नियमावली के नियम 828 (बी) का संबंध है इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त को पूर्ण अवसर दिया गया है, और अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है इसलिए नैर्सगिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लघंन नहीं हुआ था। [पैरा 8] [457-जीएच, 458-ए-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2008 की सिविल अपील सं 5186

पटना उच्च न्यायालय के सी. डब्ल्यू. आई.सी. संख्या 4205/1996 में पारित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 03.02.2004 से।

अपीलार्थी की ओर से पी. एस. मिश्रा, ध्रुव कुमार झा, तथागत एच. वर्धन, उपेंद्र मिश्रा, रवि सी. प्रकाश व सी. डी. सिंह

प्रत्यर्थीगण की ओर से गोपाल सिंह, मनीष कुमार व सुजॉय बर्धन

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपीलार्थी की ओर से दायर रिट याचिका को खारीज करने के निर्णय को चुनौती दी गई है।

3. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:-

यह आरोप लगाते हुए कि अपीलार्थी और उसके साथियों ने दिनांक 12.10.1991 को कुछ व्यक्तियों के साथ लूट कारित की, स्थानीय लोगों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया गया। तीन आरोपी पुलिस के सिपाही थे। उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया और उनके कब्जे से लूटे गये पैसे बरामद किये गये थे। पुलिस ने कारित किये गये कथित अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता, 1960 (संक्षेप में ' भा.द.स.') की धारा 392 और 411 के तहत दंडनीय अपराध के तहत मुकदमा संख्या 319/1991 पुलिस स्टेशन बुद्धा कॉलोनी में दर्ज किया गया था। विभागीय प्राधिकारी ने लगभग समानान्तर ही विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। 6.1.1992 को एक रिट याचिका अपीलार्थी और कुछ अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी। जो पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सुचीबद्व की गई थी। जिसे सी.डब्ल्यू. जे.सी. संख्या 7846/1991 के रूप में क्रमांकित किया गया था। विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने को चुनौती दी गयी थी। इसी बीच आपराधिक न्यायालय ने संज्ञान ले लिया था। विभागीय कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, विचारण पूर्ण हो गया और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.12.1992 के द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था। रिट याचिका का निपटारा इस आधार पर किया गया कि विभागीय कार्यवाही चूंकि समाप्त हो चुकी है। अपीलार्थी को आदेश दिनांकित 4.7.1992 द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। आंतरिक उपचार अर्थात विभागीय अपील का उपयोग किया गया था। तीनों अभियुक्तों द्वारा तीन रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं। याचिकाकर्ता की रिट याचिका को सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 5457/1994 के रूप में क्रमांकित किया गया था। तीनों रिट याचिकाओं का निपटारा एक समान आदेश द्वारा 22.5.1995 को किया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष दो बिंदुओं पर आग्रह

किया गया था। पहला यह था कि बरी किए जाने के मध्यनजर बर्खास्तगी का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। दूसरा, जाँच रिपोर्ट की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा पहला बिंदु अस्वीकार कर दिया गया था और जहाँ तक दूसरे बिंदु का संबंध है, उच्च न्यायालय ने जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डी. आई. जी. द्वारा प्रतिलिपि प्रदान की गई और बाद में बर्खास्तगी के आदेश को बरकरार रखा गया। एक और रिट याचिका दायर की गई, जिसमें यह आधार लिया गया कि बिहार पुलिस नियमावली के नियम 847 (संक्षेप में नियमावली) के संदर्भ अनुसार कोई भी विभागीय कार्यवाही तब शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि अपील करने के लिए अनुज्ञात समयावधि का अवसान न हो चुका हो। एक अन्य रिट याचिका में व्यक्त किए गए मत को संदर्भित किया गया था। मामले की सुनवाई करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया और मामले को खंड पीठ को निर्दशित कर दिया। रिट याचिका में अपीलार्थी ने यह आधार लिया कि नियम 828 (बी) और 847 का उल्लंघन हुआ था क्योंकि बर्खास्तगी के लिए कोई गुंजाइश तब तक नहीं थी जब तक कि लिखित में सूचित नहीं किया जाए। इस न्यायालय के कैप्टन एम. पॉलानथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड व अन्य [1999 (3) एस. सी. सी. 679] निर्णय को संदर्भित किया। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के आाधार को स्वीकार नहीं किया और रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रश्नगत नियम, नियमावली के हिस्से में समाहित है और ''आपराधिक अभियोजन'' शीर्षक का हिस्सा बनते है। नियम 847 का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि आपराधिक मामला दोषसिद्धि में पूर्ण हो गया है, तो उस मामले में विभागीय कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि अपील या दोषसिद्धि के आदेश पर सुना न गया हो या जब तक कि अपील करने के लिए अनुज्ञात समय अवधि का अवसान न हो चुका हो। लेकिन इन नियमों में ऐसा कुछ भी

नहीं है कि एक बार पुलिसकर्मी पर आरोप लग जाए जिसके लिए उस पर आपराधिक मुकदमा संस्थित किया जा चुका हो, तो विभागीय कार्यवाही तब तक संस्थित नहीं की जाएगी तब तक कि आपराधिक मुकदमा समाप्त ना हो जाए। जहां तक विभागीय कार्यवाही में कुछ औपचारिकताओं के अपालन का संबंध है उच्च न्यायालय ने माना है कि पहले की रिट याचिका में केवल दो बिंदु पर आग्रह किया गया था और जांच में किसी दोष् की कोई शिकायत नहीं की गयी थी। जहॉ तक नियमावली के नियम 828 (बी) में निहित प्रावधानों का अपालन का का संबंध है, उच्च न्यायालय ने माना है कि सभी अपेक्षित औपचारिकताओं का पालन किया गया था और अपीलार्थी को अपने बचाव में पर्याप्त अवसर दिया गया था।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी अपील के संदंर्भ में उच्च न्यायालय में लिए गये अपने आधारों को पुनः दोहराया।

5. दूसरी ओर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

6. प्रासंगिक नियम इस प्रकार हैः

"844. अधीक्षक पुलिस अधिकारीयों के खिलाफ मामलों के अभिलेखों की जांच करेंगे -

अधीक्षक न्यायालय में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ लाए गए प्रत्येक मामले के रिकॉर्ड, का अवलोकन करेंगें और प्रत्येक मामले का जिसमें पुलिस अधिकारी दोषसिद्ध, दोषमुक्त या उन्मोचित हुआ है (सिवाय जब मामला असत्य घोषित हुआ हो) विभागीय संज्ञान लेगा/शुरू करेगा। तथा लिखित में आदेश देगा (नियम 843 देखे)

845. कारावास का प्रभाव-प्रत्येक पुलिस अधिकारी नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए कारावास जैसै चोरी, झूठी गवाही, आदि, या अनुशासन के गंभीर उल्लघंन के

लिए जैसे की एक कैदी को भागने की अनुमति देना, संतरी ड्यूटी पर सोना, आदि के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। तथा उसके विरूद्व बर्खास्तगी की दृष्टी से कार्यवाही की जायेगी और आमतोर पर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा तथा उसे अपना वेतन कार्य समाप्ति की तिथि तक प्राप्त होगा।

846. जुर्माने का प्रभाव-जब एक पुलिस अधिकारी को आपराधिक अदालत द्वारा जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में अधीक्षक के विवेकाधिकार के अंतर्गत उसके विरूद्व बर्खास्तगी की दृष्टी से कार्यवाही तैयार करना/शुरू करना उसके विवेक के अंतर्गत होता है।

847. ऐसे मामलों में आरोप से नियम द्वारा 845 व 846 के तहत कार्यवाही में आरोप यह होगा कि आरोपी को संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, कैद किया गया है या जुर्माना लगाया गया है। ऐसी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि दोषिसद्वी के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई नहीं हो जाती है या अपील के लिए दिया गया समय समाप्त नही हो जाता है।"

7. जैसा कि ऊपर वर्णित तथ्यात्मक परिदृश्य से पता चलता है, कि पूर्व रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष केवल दो बिंदुओं का आग्रह किया गया था, उनमें से एक बरी होने के प्रभाव से संबंधित था। उच्च न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया था और मामले को आगे नहीं बढाया था। दुसरी आपत्ति जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध न कराने से संबंधित हैं। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने प्रतिलिपि की आपूर्ति का निर्देश दिया गया था जो वास्तव में की गई थी।

8. जहां तक वर्तमान में उठाए गए बिंदुओं का संबंध है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि पूर्व रिट याचिका में केवल दो ही बिंदुओं पर आग्रह किया गया था और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से नोट किया गया है कि पहला बिंदु बरी होने के

प्रभाव से संबंधित था। अन्य बिंदु को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया तथा पहला आग्रह अस्वीकार कर दिया। जहाँ तक प्रतिलिपि वाले पहलू की आपूर्ति का संबंध है, यह निर्विवादित था कि प्रतिलिपि की आपूर्ति की गई थी। स्वीकृत रूप से, वर्तमान में जिस आधार पर दलील दी गई/आग्रह किया गया वह पूर्व की रिट याचिका में आग्रह नहीं किया गया था। इससे पहले के प्रतिलिपि की आपूर्ति के निर्देश को भी कोई चुनौती नहीं दी गयी थी। यह भारत संघ व अन्य बनाम मोहम्मद. रमजान खान (ए.आई.आर.1991 एस. सी. 471) एवं प्रबंध निदेशक ई. सी. आई. एल., हैदराबाद बनाम बी. करुणाकर [ए. आई. आर 1994 एस. सी. 1074]। में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर किया गया था। यह नोट किया जाना चाहिए कि नियम 845 और 847 केवल दोषसिद्धि के मामलों से संबंधित हैं। यह नोट किया जाना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी और दो अन्य कर्मचारी जिनके खिलाफ में विभागीय कायर्वाही की गई थी, ने अधिकारियों को लिखा था कि वे आपराधिक न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने तक वे विभागीय कार्यवाही में भाग नहीं लेगें। उन्होंने विभागीय कार्यवाही में पेश किए गए गवाहों से, जिरह करने से भी इन्कार कर दिया था। जहाँ तक पहली रिट याचिका का संबंध है, स्थगन आदेश 6.1.1992 को पारित किया गया था अर्थात 15.11.1991 के बहुत बाद जब अपीलार्थी और दो अन्यों ने विभागीय कार्यवाहियों में भाग लेंने से इनकार कर दिया था। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही निर्धारित किया है, पिछली रिट याचिका में केवल दो बिंदुओं का आग्रह किया गया था और जांच के दौरान किसी भी दोष की कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष सही निकाला है कि यह आग्रह बिना किसी सार के था**A** जहां तक नियम 828 (बी) का संबंध है उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है कि पूर्ण अवसर दिया गया था और अपेक्षित आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया

था। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था।

9. इसलिए उपर वर्णित स्थिति होने से अपील में कोई सार नहीं है अपील खारिज योग्य है जिस हम निर्देशित करते है।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी देव कुमार खत्री, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।